निरंजन सिनेमा

बनाम

प्रकाश चन्द्र दुबे एवं अन्य

5 दिसम्बर 2007

[डॉ.अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, न्यायामुर्तिगण]

श्रम कानून - बकाया वेतन - सेवा समाप्ति के बाद स्वरोजगार में लगे श्रमिकों का अधिकार - अभिनिर्धारित किया गयाः दावा याचिका में इस दावे के अभाव में कि स्वरोजगार से कमाई पर्याप्त नहीं थी और उससे कमाई की मात्रा के अभाव में, श्रमिक 50% बकाया वेतन का हकदार है- उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 4K

प्रतिवादी-कर्मचारी, जो अपीलकर्ता के साथ कार्यरत था, ने अपनी सेवा समाप्त करने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्तिगत विवाद उठाया। औद्योगिक न्यायाधिकरण काेनिर्देश किया गया जिसने माना कि बर्खास्तगी अवैध थी और बकाया वेतन के साथ उसकी बहाली का निर्देश दिया गया। आगे यह माना गया कि भले ही कारीगर ने पान की दुकान शुरू की हो, फिर भी उसे लाभकारी रोजगार वाला नहीं कहा जा सकता। पंचाट के खिलाफ अपीलकर्ता की रिट याचिका को भी यह कहते हुए खारिज कर

दिया गया कि स्वरोजगार को लाभकारी रोजगार नहीं माना जा सकता है। अपीलकर्ता ने बकाया वेतन का 50% ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया। इस न्यायालय में अपील श्रमिक के बकाया वेतन के अधिकार के सीमित प्रश्न पर थी।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा:

दावा याचिका में ऐसा कोई कथन नहीं था कि पान की दुकान से होने वाली कमाई खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए, उस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार कानूनी रूप से स्थिर रहने योग्य नहीं है। इस तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि यह नहीं दिखाया गया है कि प्रतिवादी ने पान की दुकान से कितनी कमाई की, यह निर्देश दिया जाता है कि बकाया मजदूरी का 50% जो ट्रिब्यूनल के पास जमा किया गया है, प्रतिवादी को दे दिया जाए। बकाया वेतन पर उसकी पात्रता तदनुसार निर्धारित की जाती है। [पैरा 6] [961-ई-एफ]

उत्तर पूर्व कर्नाटक सड़क परिवहन निगम बनाम एम. नागनगौड़ा, एआईआर (2007) एससी 973, पर निर्भर किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की सिविल अपील संख्या 3960

सी.एम.डब्ल्यू.पी. नम्बर 21729/1999 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय एवं अंतिम आदेश दिनांक 21.4.2005 से।

अपीलकर्ता की ओर से सुनील गुप्ता, विवेक विश्नोई, एम आर शमशाद व रामेश्वर प्रसाद गा ेयल

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए भरत संगल।

प्रतिवादी नंबर 2 के लिए शरिष कुमार मिश्रा, समीर अली खान और प्रदीप मिश्रा।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति डा ॅ. अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया।

1. इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले कोचुनौती दी गयी है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। उक्त आक्षेपित निर्णय से एकल न्यायाधीश ने पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 1, उ.प्र., इलाहाबाद के दृष्टिकोण की पुष्टि की।

2. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

प्रतिवादी अपीलकर्ता सिनेमा हॉल में गेट कीपर के रूप में काम कर रहा था। 6.10.1993 को यह देखा गया कि टिकटों के प्रतिपर्ण गायब थे और इसलिए, पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अपीलकर्ता के अनुसार प्रतिवादी ने खुद को काम से अनुपस्थित रखा लेकिन अभिलेख के अनुसार वह सिनेमा हॉल के बगल में पान की दुकान चला रहा था। प्रतिवादी ने सेवाओं को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए सुलह अधिकारी

के समक्ष एक औद्योगिक विवाद उठाया। अपीलकर्ता ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि कोई बर्खास्तगी नहीं हुई है और वास्तव में यह प्रतिवादी के लिए खुला है कि वह जब चाहे तब कर्तव्यों को फिर से शुरू कर सकता है। यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम'), की धारा 4K के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण काे निर्देशकिया गया था। इस प्रश्न पर कि क्या काम से अनुपस्थिति थी और कोई समाप्ति नहीं थी,ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा बयान में, प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और प्रबंधक ने उसे अवैध रूप से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अपीलकर्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्तियां यह कहते हुए दायर की गईं कि निर्देश सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि सरकार इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि सेवा समाप्त कर दी गई है। यह दोहराया गया कि सेवा की कोई समाप्ति नहीं हुई थी और यह अभी भी प्रतिवादी के लिए काम फिर से शुरू करने का विकल्प खुला था। यह प्रारंभिक आपत्ति 07.11.1994 को दायर की गई थी। 21.2.1995 को प्रतिवादी ने काम फिर से शुरू करने से इनकार करते हुए जवाब दाखिल किया। 25.4.1995 को अपीलकर्ता ने दावे के बयान के खिलाफ प्रत्युत्तर दायर किया और फिर से पेशकश की कि प्रतिवादी फिर नियुक्त हो सकता है। यह दिखाने के लिए सबूत पेश किए गए कि सेवा की कोई समाप्ति नहीं हुई थी और प्रतिवादी किसी भी समय नियुक्त हो सकता था। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि बर्खास्तगी अवैध थी और बकाया वेतन के साथ बहाली का निर्देश इस

आधार पर दिया गया था कि भले ही प्रतिवादी ने पान की दुकान शुरू की हो, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वह लाभकारी रूप से नियोजित है। फैसले के बाद अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को रिट याचिका में पंचाट को चुनौती मिलने तक फिर से ड्यूटी पर लौटने का विकल्प दिया। प्रतिवादी ने फिर से ड्यूटी पर जाने से इंकार कर दिया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 8.5.1999 को उच्च न्यायालय के समक्ष पंचाट को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी। 26.5.1999 को उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को ट्रिब्यूनल के पास वेतन जमा करने और प्रतिवादी को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। 13.7.1999 को अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को ड्यूटी पर लौटने के लिए कहा। प्रतिवादी ने फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने से इंकार कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को फिर से ड्यूटी पर लौटने के लिए कहा और 29.7.1999 को ट्रिब्यूनल के पास बकाया वेतन का 50% जमा कर दिया। अपीलकर्ता ने उपश्रम आयुक्त से प्रतिवादी को फिर से ड्यूटी पर लौटने का निर्देश देने के लिए एक इंस्पेक्टर तैनात करने का अनुरोध किया। 6.7.2000 को सहायक श्रम आयुक्त ने प्रतिवादी को ड्यूटी पर लौटने के लिए राजी किया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बर्खास्तगी अवैध थी और प्रतिवादी को सेवा समाप्ति के बाद लाभकारी रोजगार नहीं मिला था क्योंकि स्व-रोजगार को लाभकारी रोजगार नहीं माना जा सकता है।

3. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि

इस न्यायालय के दृष्टिकोण के विपरीत श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने माना है कि स्व-रोजगार लाभकारी रोजगार नहीं है। यह भी बताया गया है कि दावा याचिका में ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वह लाभकारी रूप से नियोजित नहीं था।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि सेवा समाप्ति के बाद प्रतिवादी एक छोटी सी पान की दुकान चला रहा था जिसे लाभकारी रोजगार नहीं कहा जा सकता।

5. उत्तर पूर्व कर्नाटक सड़क परिवहन निगम बनाम एम. नागनगौड़ा, एआईआर (2007) एससी 973 में यह अभिनिर्धारित किया गया किः

"उक्त प्रश्न पर, हम श्रम न्यायालय के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि प्रतिवादी द्वारा कृषि गतिविधियों से प्राप्त आय को किसी भी प्रतिष्ठान में लाभकारी रोजगार से प्राप्त आय के बराबर नहीं माना जा सकता है। हमारे विचार में, "लाभदायक रोजगार" में स्वरोजगार भी शामिल होगा जहां से आय उत्पन्न होती है। किसी प्रतिष्ठान में रोजगार से या स्वरोजगार से आय केवल उन स्रोतों को अलग करती है जिनसे आय उत्पन्न होती है, अंतिम उपयोग वही होता है। चूंकि प्रतिवादी अपनी कृषि गतिविधियों से कुछ राशि खुद को बनाए रखने के लिएकमा रहा था, श्रम न्यायालय को यह मानना उचित नहीं था कि केवल इसलिए कि प्रतिवादी कृषि आय प्राप्त कर रहा था, उसे "लाभकारी रोजगार"में संलग्न नहीं माना जा सकता है।

6. यह भी प्रासंगिक है कि दावा याचिका में ऐसा कोई कथन नहीं था कि पान की दुकान से होने वाली कमाई खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए, उस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार कानूनी रूप से स्थिर रहने योग्य नहीं है लेकिन यह नहीं दर्शाया गया है कि प्रतिवादी ने पान की दुकान से कितनी कमाई की। इस तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि बकाया मजदूरी का50%,जो ट्रिब्यूनल के पास जमा किया गया है, प्रतिवादी को दिया जाए। उसकी पात्रता तदनुसार निर्धारित की जाती है। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वर्तमान अपील में विवाद बकाया वेतन के सवाल तक ही सीमित था। उपरोक्त सीमा तक अपील बिना किसी खर्चे के स्वीकार की जाती है।

के.के.टी.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेश चंद्रगुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।